न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02 /2017 अपील आर्म्स
पंजीयन दिनांक 06–06–2017
निर्णय दिनांक 03–10–2017

श्री अमृत पुरी गोस्वामी पिता श्री शंकरपुरी गोस्वामी निवासी फरारा, पुलिस थाना राजनगर तहसील तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज.)

–– अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक।

–– प्रत्यर्थी

उपस्थिति–

1.श्री मनोज कोठारी –– अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री योगेन्द्र दशोरा –– राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–18 आयुध अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 28–02–2017 जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।

निर्णय

दिनांक 03.10.2017

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा–18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 28–02–2017 से असंतुष्ट होकर पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। श्री अमृत पुरी गोस्वामी निवासी फरारा, तहसील एवं जिला राजसमन्द ने उसके नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 28/1995 जिसमें एक 32 बोर रिवाल्वर नं. 23 का अकंन है। दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 20–12–2016 को प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रेषित किया। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ने अपने पत्र कमांक 250 दिनांक 12–01–2017 से अवगत कराया कि श्री अमृतपुरी गोस्वामी के विरुद्व प्रकरण संख्या 251/03 धारा 147, 341, 323, 149 भा.द.स.में दर्ज होकर चालान संख्या 146/03 दिनांक 17.06.2003 को न्यायालय में पेश हो दिनांक 07.12.2004 को सजा हुई। प्र.सं. 332/09 दिनांक 23.07.2009 को न्यायालय में पेश हो दिनांक 23.07.2009 को राजीनाम हुआ। प्र.सं. 299/16 धारा 147, 149, 341, 323 भा.द.स.में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 304/16 दिनांक 19.11.2016 को न्यायालय में पेश की है । जिसके कारण श्री गोस्वामी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करना उचित नहीं दर्शाया गया है। इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 28–02–2017 से अपराधिक प्रकरणों के निस्तारण होने तक शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की पत्रावली मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री अमृतपुरी गोस्वामी के पास शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 28/95 वर्ष 1995 से लाईसेन्सधारी है तथा 15.11.1995 से ही अपीलार्थी के कब्जे में है। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र की शर्तो का कभी उल्लधंन नही किया एवं न ही कभी उसमें दर्ज हथियारों का दुरुपयोग किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध दर्शाये तीन प्रकरणों एवं उनकी अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया है,। जबकि अपीलार्थी प्रकरण संख्या 251/03 धारा 147, 341, 323, 149 आई.पी.सी..में दर्ज होकर चालान संख्या 146/03 दिनांक 17.06.2003 को न्यायालय में पेश हो दिनांक 07.12.2004 को सजा हुई। प्र.सं. 332/09 दिनांक 23.07.2009 को न्यायालय में पेश हो दिनांक 23.07.2009 को राजीनाम हुआ। प्र.सं .299/16 धारा 147, 149, 341,323 आई.

पी.सी. में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 304/16 दिनांक 19.11.2016 को न्यायालय में पेश की है। शेष दोनो विचाराधीन प्रकरण गंम्भीर प्रकृति के नही है। जिसको आधार बना कर शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित नही किया जा सकता है। अन्त में जिला मजिस्टेट, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2017 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण गंभीर प्रकृति के होकर विचाराधीन है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण संख्या 251/03 अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 149 आई. पी.सी. में दर्ज होकर न्यायालय में पेश हुआ है। जिसमें दिनांक 7.12.2004 को सजा हुई है,। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 332/09 अर्न्तगत धारा 341, 323 आई.पी.सी. के तहत न्यायालय में पेश हुआ है एवं प्रकरण संख्या 299/16 अर्न्तगत धारा 147, 149, 341,323 आई.पी.सी में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 304/16 दिनांक 19.11.2016 को न्यायालय में पेश की गई है। जो वर्तमान में विचीराधीन है। पुलिस अधीक्षक, राजसमंद द्वारा जांच रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त प्रकरण के दर्ज होने की पुष्टि की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–02–2017 में स्पष्ट किया है कि व्यापक जनहित में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र अपराधिक प्रकरण के निस्तारण तक निलम्बित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश विधि अनुकुल होने से अपील अपीलार्थी निरस्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी को जिला मजिस्ट्रेट , राजसमंद द्वारा लाईसेन्स संख्या 28/95 जारी किया गया तथा 01.01.2017 से 31.12.2019 तक नवीनीकरण हेतु दिनांक 20.12.2016 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 299/16 अर्न्तगत धारा 147, 149, 341,323 आई. पी.सी में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 304/16 दिनांक 19.11.2016 को न्यायालय में पेश की गई है। जो वर्तमान में विचीराधीन है। पुलिस अधीक्षक, राजसमंद द्वारा जांच रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त प्रकरण के दर्ज होने की पुष्टि की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–02–2017 में स्पष्ट किया है कि व्यापक जनहित में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र अपराधिक प्रकरण के निस्तारण तक निलम्बित किया गया है। किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक उक्त शस्त्र का दुरुपयोग अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाना भी अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है और अपीलार्थी कुन्तेश्वर महादेव का पुजारी होकर पूर्व व्याख्याता भी रहा है। ऐसी स्थिति हम प्रकरण में गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान

जयपुर के पत्र दिनांक 07.12.2016 के दिये गये निर्देशों के अनुसार पुनः अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से अंतिम निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद को प्रति प्रेषित (**Remand**) किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद को प्रतिपेषित (**Remand**) कर निर्देशित किया जाता हैं कि नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः जांच कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
सभांगीय आयुक्त
उदयपुर